न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– आर. के. जायसवाल, आई.ए.एस. जिला कलक्टर धौलपुर

मुकदमा नम्बर:– 87/2021 (जी सी एम एस नम्बर 2021/141)

उनवान प्रकरण :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर ....प्रार्थी

बनाम

1–रामदास पुत्र काशीराम जाति मल्हा निवासी कामरेकापुरा तहसील धौलपुर
2–केदारसिंह पुत्र काशीराम जाति मल्हा निवासी कामरेकापुरा तहसील धौलपुर
3–किशनदेई पुत्री काशीराम जाति मल्हा निवासी कामरेकापुरा तहसील धौलपुर
4–वासदेई उर्फ वासो पुत्री काशीराम जाति मल्हा निवासी कामरेकापुरा तह0धौलपुर
..............................अप्रार्थीगण

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (राज0)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82
राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति अभिभाषकगण :–

प्रार्थी की ओर से – श्री गोपाल नारायन शर्मा राजकीय अभि0
अप्रार्थीगण की ओर से – श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट

निर्णय दिनांक 05.04.2022

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत रैफरेन्स राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 82 के तहत निम्नानुसार प्रेषित किया गया है कि काशीराम पुत्र गुलावसिंह जाति मल्हा निवासी कामरेकापुरा को खसरा नम्बर 307 में से रकवा 03 वीधा हाल खसरा नम्बर 1029/307 रकवा 03 बीधा पर ग्राम बीछिया में सहायक जिलाधीश प्रथम धौलपुर के आदेश कमांक 2214–15 दिनांक 25.08.1978 से जरिये नामान्तकरण संख्या 135 दिनांक 25.11.1978 से गैरखातेदार राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया गया। गैरखातेदार काशीराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान सरवती पत्नि काशीराम, रामदास, केदारसिंह पुत्रगण व किशनदेई, वासदेई पुत्रीगण पिस. काशीराम जरिये नामान्तकरण संख्या 528 दिनांक 18.9.1996 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये। सरवती पत्नि काशीराम की मृत्यु होने पर उसके वारिसान अप्रार्थीगण

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

जरिये नामान्तकरण संख्या 948 दिनांक 10.01.2008 राजस्व रिकार्ड में दर्ज किये गये। इस कार्यालय के आदेश कमांक 34 दिनांक 10.01.2008 के द्वारा गैरखातेदार अप्रार्थीगण को गैरखातेदारी से खातेदारी दी गयी जिसका अमल जरिये नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 2.5.2008 राजस्व रिकार्ड में किया गया।राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। राज्य सरकार के आदेश कमांक एफ 9(15)राज-6/2005 पार्ट/13 दिनांक 13.5.2015 के द्वारा नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं सम्भागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम बीछिया नगर परिषद धौलपुर की परिधिय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। उपरोक्त प्रकरण में तत्कालीन तहसीलदार द्वारा अपने अधिकारों से परे जाते हुए सम्भागीय आयुक्त महोदय एवं राज्य सरकार की अधिकारातीत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विधिक प्रावधानों के विपरीत खातेदारी दी गई। जवकि प्रकरण में गैरखातेदार द्वारा भूमि की राशि की 20 प्रतिशत राशि 50760/-रू जमा नहीं कराई गई है और ना ही प्रकरण में सक्षम अधिकारी द्वारा सक्षम स्वीकृति प्राप्त की गई है जिसके कारण गैरखातेदारी से खातेदारी दिये जाने हेतु निर्णित नामान्तकरण विधि के बिरूद्व होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 02.05.2008 को निरस्त किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में प्रकरण को रैफरेन्स करने की प्रार्थना की है।

प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल रिपोर्ट पटवारी/गिरदावर दिनांक 7.12.2017, जमाबन्दी सम्बत 2071-74,नकल नक्शा लठठा 7.12.17, नकल खसरा सम्बत 2071-74, खातेदारी आदेश प्रतिलिपि, नकल नामान्तकरण संख्या- 135, नकल नामान्तकरण संख्या- 528, नकल नामान्तकरण संख्या 948, नकल नामान्तकरण संख्या 952, अधिसूचना 21.6.07, अधिसूचना 13.5.15, अधिसूचना 17.10.2012, अधिसूचना 16.4.2013 पेश की है।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुक: सरकार बनाम रामदास वगैरा
रैफरेन्स संख्या 87/2021

उक्त रेफरेन्स प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री सुरेशचन्द कटारा एडवोकेट ने बकालतनामा पेश कर अप्रार्थीगण की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र का जबाव पेश किया गया जिसमें उन्होने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को अस्वीकार करते हुये जबाव में कथन किया कि कार्यालय तहसीलदार धौलपुर के आदेश क्रमाक 34 दिनांक 10.1.2008 आवंटी तथा उसके वारिसान द्वारा समस्त शर्तो का पालन करके विवादित आराजी पर अप्रार्थीगण रामदास वगैरा को नामान्तकरण संख्या 952 ग्राम बीछिया दिनांक 2.5.2008 से खातेदारी प्रदान की गई। उस समय ग्राम बीछिया ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परधीय क्षेत्र में था बीछिया ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते है। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम बीछिया परधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई ओचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 2.5.2008 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरूद्व होने के कारण काबिल खारिजी है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

वहस विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान अभिभाषक ने अपनी वहस में प्रार्थना पत्र में अंकित कथनो को दोहराते हुये कथन किया कि राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। अधिसूचना का अनुमोदन नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 16.04.2013 के द्वारा किया गया है। नगर परिषद/नगर पालिका क्षेत्र की एवं परिधीय क्षेत्र में गैर खातेदारी से खातेदारी भूमि पर खातेदारी दिए जाने की शक्तियां राज्य सरकार एवं संभागीय आयुक्त महोदय से हटाकर आवंटी द्वारा कमश प्रचलित बाजार दर का 20 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत राशि जमा कराते हुए गैर खातेदारी से खातेदारी देने की शक्तियां जिला कलक्टर महोदय को प्रदत्त की गई है। ग्राम बीछिया नगर परिषद धौलपुर की परिधिय क्षेत्र में और राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार प्रचलित बाजार दर की 20 प्रतिशत राशि राज्य कोष में जमा कराने के उपरान्त ही नियमानुसार खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है किन्तु अप्रार्थी की ओर से न तो कोई राशि जमा कराई गई और न ही गैरखातेदारी से खातेदारी का नामान्तकरण के निर्णय के समय इस तथ्य को ध्यान में रखा गया। इस प्रकार नगर परिषद धौलपुर के परिधीय क्षेत्र में दी गई खातेदारी विधिक प्रावधानों के विपरीत है। अतः प्रार्थना पत्र रैफरेन्स स्वीकार फरमाया जावे।

(आर0 के0 जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्या0.जिला कलक्टर धौलपुर
वमुकः सरकार बनाम रामदास वगैरा
रैफरेन्स संख्या 87/2021

अप्रार्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस में जबाव प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में विवादित आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण रामदास वगैरा को दिनांक 10.1.2008 को प्रदान की गई जिसका अमल राजस्व रिकार्ड में दिनांक 02.5.2008 को किया गया उस समय ग्राम बीछिया ना तो नगर परिषद की सीमा में था ना ही नगर परिषद की परधीय क्षेत्र में था बीछिया ग्रामिण क्षेत्र था जिसे 17.10.2012 को संशोधन दिनांक 16.4.2013 में नगर परिषद धौलपुर का परधीय ग्राम घोषित किया गया। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 21.6.2007 एवं 13.05.2015 के प्रावधान इस आराजी पर लागू नहीं होते है। जिस समय खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये उस समय ग्राम बीछिया परधीय ग्राम नहीं था तो 20 प्रतिशत राशि जमा कराने का कोई ओचित्य नहीं है। प्रकरण बिधि के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 02.5.2008 खारिज नहीं किया जा सकता। प्रकरण बिधि बिरूद्व होने के कारण काबिल खारिजी है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र की कम संख्या-2 में अप्रार्थीगण को विवादित आराजी ग्राम वीछिया के नामान्तकरण संख्या 952 दिनांक 02.05.2008 से गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान किया जाना अंकित किया है। प्रार्थना पत्र की कम संख्या-5 में राज्य सरकार के नगरीय विकास विभाग की अधिसूचना कमांक प.10.(56)नविवि/3/2011 जयपुर दिनांक 17.10.2012 से राजस्व ग्राम बीछिया को नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम घोषित किया गया है। इससे यह जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण को दिनांक 02.05.2008 को गैरखातेदारी से खातेदारी प्रदान की गई और ग्राम वीछिया नगर पालिका धौलपुर की परिधीय राजस्व ग्राम दिनांक 17.10.2012 को घोषित किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि वरवक्त खातेदारी प्रदान करते समय ग्राम बीछिया नगर पालिका धौलपुर की परिधीय क्षेत्र की सीमा में नहीं था। इस प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की प्रस्तुत तथ्यों से पुष्ठि नहीं होती है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

अतः आदेश है कि उपरोक्त विवेचना अनुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रति तहसीलदार धौलपुर को भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 05.04.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(आर.के.जायसवाल)
जिला कलेक्टर, धौलपुर

(आर० के० जायसवाल)
जिला कलक्टर, धौलपुर

न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर (रा.ज.)